



// आदेश //

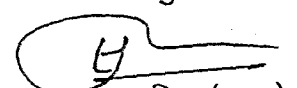
विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.06.2025 तथा 23.07.2025 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 13.08.2025 के अनुमोदनानुसार, बी.आई.टी. कॉलेज ऑफ कॉमर्स साइंस, मैनेजमेंट एण्ड आर्ट्स, अभनपुर, केंद्री, जिला-रायपुर (छ.ग.) को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/संकाय/विषय के लिये सत्र 2021-22 से अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है :-

क्र.	कक्षा/संकाय/विषय	सीट संख्या	सत्र
1.	B.A.-III Year - (F.C., Sociology, Political Science, Hindi Litt.)	60	2021-22
2.	B.Com.-III Year	60	2021-22

शर्त :-

- महाविद्यालय को आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र. 153/276/आउशि/अ.शै.प्र./2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/03/2022 के द्वारा पाठ्यक्रम की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शासन के आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का नियमानुसार पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
- इण्डोमेंट फण्ड की शेष राशि का भुगतान सत्रांत तक कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा करेंगे। यदि पूर्व में राशि जमा की जा चुकी है तो एफ.डी.आर. की छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे।
- परिनियम 28 के तहत न्यूनतम/आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से 03 माह के भीतर नियुक्त/पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे।
- पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के अनुसार छात्र संख्या के अनुपात में उच्च स्तरीय पुस्तकों को क्रय करना सुनिश्चित करेंगे।
- शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे।
- परिनियम-27 एवं 28 का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,


उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक / 1815 / अका. / एफ-358 / सम्बद्धता / 2025

रायपुर, दिनांक 18/09/2025

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
3. संचालक/प्राचार्य, बी.आई.टी. कॉलेज ऑफ कॉमर्स साइंस, मैनेजमेंट एण्ड आर्ट्स, अभनपुर, केंद्री, जिला-रायपुर (छ.ग.)
4. उप-कुलसचिव परीक्षा/विकास/स.कु.स. नामांकन/गोपनीय/वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
5. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को इस निवेदन के साथ कि इसे विश्वविद्यालय के वेबसाइट में सूचना अपलोड करावें।
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ।


Deputy Registrar (Acad.)
Pt. Ravishankar Shukla University
Raipur (C.G.) 492010

भाग ब

भाग अ में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिंदुवार प्रतिवेदन।

(प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।)

निरीक्षण आदेश क्रमांक : 785/अका./सम्बद्धता/2025 23/4/25.

निरीक्षण की तिथि : 26-04-25

प्रस्तावित पाठ्यक्रम का विवरण जिसके लिये सम्बद्धता चाही गई है :-

कक्षा	विषय	अपेक्षित सीट	सत्र	वर्तमान सत्र में प्रवेश की स्थिति
B. Com - III (3 rd)	All Comp. Subjects. In previous syllabus.	60	2024-25	8
B. A. III (3 rd)	F.C. Hindi Lit., Political Sc. Sociology.	60	2024-25	13

क्र.	विवरण	भाग "अ" में बिंदु क्रमांक	पात्रता / कमियों का विवरण
1	समिति / संस्था के पंजीयन की वैधता	I(ii)	संलग्न- 1
2	समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि	I(iv)	संलग्न- 2
3	इडॉर्मेट फण्ड में जमा की गई राशि	I(v)	संलग्न- 3
4	शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि	2(iii) 2(v)	संलग्न- 4
5	महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं ?	3(xii)	स्वयं के भवन में संचालित है।
6	महाविद्यालय भवन में मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता	3(xiv)	उपलब्ध (संलग्न- 5)
7	यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रयोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता	3(xvi)	लगाव नहीं-
8	प्रयोग शाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता	3(xvi)	लगाव नहीं-
9	प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिये विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता	5(viii)	वागिपत्र- 5 / राजनीति विभाग- 1 / समाजशास्त्र- 1 / हिंदी- 1

4/5/25
9.1.19

★ शिक्षकों के संयुक्त और संवैधानिक
एक शिक्षक (वागिपत्र) परिनियम-28
में नियुक्त/अ-अ विषय में भी परिनियम-
28 के अंतर्गत नियुक्ति सुनिश्चित करें।

(संलग्न- 6)

10	ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता	7(i) 7(vi)	ग्रंथपाल का भरती पारनिष्पन्न-28 के नियुक्ति- अनिश्चित किया जा रहा है। (संलग्न-6)
11	महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधायें	9	अन्य समस्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
12	यदि द्वितीय / तृतीय वर्ष की कक्षाओं की सम्बद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिये गये सुझावों की क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई हैं ?		संलग्न-1 - 1 एवं 11 (क्रमांक- 571/म.का./सं.पू./ 2023, दिनांक-01.09.2023 (संलग्न-7)
13	अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहे		तथ्य कतः नहीं।
14	कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें सम्बद्धता प्रदान किये जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।		क्र. 09 एवं 10 के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति- पारनिष्पन्न-28 के अंतर्गत किया गया है। शर्त के साथ संबद्धता दी जा सकती है।

निरीक्षण समिति के संयोजक का नाम

एवं हस्ताक्षर

(प्रो. एन. एस. राजपाल)
(दिनांक 26/04/2025)

निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर

- 1 राजेश कुमार दुबे
- 2 डॉ. मनोज कुमार मिश्रा
- 3 डॉ. ए. के. उपाध्याय

4
पु. प्र. राज्य मंडल

दिनांक: 26.04.2025

प्रति

कुलसचिव
प. रविशंकर विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

प्रो. एन. एस. राजपाल
31.1.19

प्रो. एन. एस. राजपाल
31.1.19